कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय क्षेत्र के पोलीटेकनिक संस्थानों में संचालित डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग, सत्र 2021–22

महत्वपूर्ण निर्देश

(कोविड–19 के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिये, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना है)

उपलब्ध संस्थाएँ/पाठ्यक्रम, पात्रता, शैक्षणिक अर्हताएँ एवं उपलब्ध सुविधाएँ

क्र	संस्था का नाम	उपलब्ध ब्रांच	सीट	आरक्षित श्रेणी
1.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मुरैना. (डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 4. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के **पुरूष** उम्मीदवार (छात्र) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से **वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार** से अधिक न हो।
2.	शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, सीहोर. (डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम) 2. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग	60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति की **महिला** उम्मीदवार (छात्राऐं) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से **वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार** से अधिक न हो।
3.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, लटेरी (सह–शिक्षा) (डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के **पुरूष एवं महिला** उम्मीदवार जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से **वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार** से अधिक न हो।
4.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 4. सिविल इंजीनियरिंग	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के **पुरूष** उम्मीदवार (छात्र) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से **वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार** से अधिक न हो।
5.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला. (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 2. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन 3. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति की **महिला** उम्मीदवार (छात्राऐं) जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से **वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार** से अधिक न हो।
6.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, हरसूद (सह–शिक्षा) (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के **पुरूष एवं महिला** उम्मीदवार जिनकी परिवार की समस्त स्त्रोतों से **वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार** से अधिक न हो।

प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता

स. क्र.	पाठ्यक्रम/ब्रॉच	अवधि	प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
समूह 'अ' के पाठ्यक्रमः–			
1. 2. 3. 4. 5.	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन सिविल इंजीनियरिंग	3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2)प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान (भौतिक एवं रसायन) तथा गणित विषयों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होने के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ समस्त उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
समूह 'ब' के पाठ्यक्रमः–			
1.	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	3 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा किसी भी विषय समूह के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

एकलव्य योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं, डॉ बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेश नियम में दिये गये विहित उपबंधों/प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जावेंगीः–

क्र	मद	सुविधा
1.	शिक्षण शुल्क	निरंक
2.	छात्रवृत्ति	रुपये 1,000/–प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा
3.	निःशुल्क स्टेशनरी, ड्राइंग एवं अन्य सामग्री	उपसत्र अधिकतम रुपये 2,000/– मूल्य की प्रति छात्र/छात्रा
4.	पाठ्य पुस्तकें	निःशुल्क प्रति उपसत्र की प्रति छात्र/छात्रा
5.	निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन	छात्र/छात्राओं को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जावेगी
6.	निःशुल्क परीक्षा	राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की वास्तविक परीक्षा शुल्क राशि की सीमा तक

पंजीयन (Registration):–

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कांउसलिंग में **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये अर्हकारी परीक्षा के रोल नंबर के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश/सी.बी.एस.सी. के परीक्षा परिणाम का सत्यापन एवं म.प्र. लोकसेवा अभिकरण **(M.P. e-district)** के आवेदन क्रमांक से श्रेणी**(SC/ST/OBC)**/मूलनिवासी प्रमाण–पत्रों का ऑनलाईन ई–सत्यापन **(Online e-verification)** किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई–वेरिफाइड हो जाती है तो उन्हें पंजीयन के समय ''पंजीयन एवं ई–दस्तावेज'' सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड **(Upload)** करने की आवश्यकता नहीं है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का ऑनलाईन ई–सत्यापन आंशिक रूप से हुआ है अथवा पूर्णतः नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन में दी गई जानकारियों के आधार को ही सही माना जायेगा। उन्हें केवल पंजीयन की पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज पंजीयन के समय अपलोड **(Upload)** करना होगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्ण अंक सूची में प्रतिशत/अंक के स्थान पर ग्रेड दिया गया है, वे अपनी अंक सूची के साथ संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला का दस्तावेज मर्ज **(merge)** करके अपलोड **(Upload)** करें। **(अर्थात अंक सूची एवं ग्रेड कन्वर्जन फार्मूले के दस्तावेज को एक जेपीजी फाईल बनाकर (मर्ज (merge) कर) ही अपलोड करें।**
5. ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु उनकी एक से अधिक अंक सूची हैं, तो वे संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तांक/पूणंक के साथ परीक्षा परिणाम का भी स्पष्ट उल्लेख हो, को **(Upload)** करें।
6. काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।
7. पंजीयन के पूर्ण होते ही, पंजीयन में दिये गये मोबाईल नम्बर पर एक पासर्वड प्राप्त होगा जिसे सभांल कर रखें और किसी को भी ना बतायें।
8. काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स(**Quick Links**) में पंजीयन निरस्त (**Registration Cancellation**) करनें की सुविधा भी उपलब्ध है।
9. **ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) की सुविधा भी समय सारणी अनुसार उपलब्ध रहेगी, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।**

सत्यापन (Verification):–

10. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पंजीयन के समय भरी गई जानकारी को, उनके द्वारा अपलोड **(Upload)** किये गये दस्तावेजों से मिलान कर ऑनलाईन सत्यापन करने के उपरान्त ऑनलाईन प्राथमिकतानुसार चयन के लिये पात्र या अपात्र **(Eligible or Not Eligible)** का निर्धारण किया जायेगा।
11. पा सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में निर्धरित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट हैं तो वह प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
12. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धरित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, एवं पात्रता में सुधार चाहते हैं तो वे, काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स(**Quick Links**) में उपलब्ध पंजीयन निरस्त (**Registration Cancellation**) लिंक से, पंजीयन निरस्त करें, पूर्व में प्राप्त रोल नम्बर का उपयोग कर, आवश्यक सुधार करते हुऐ पुनः पंजीयन कर, ऑनलाईन सत्यापन के लिये आवेदन **(Subbmit)** कर सकते हैं, इसके पश्चात सत्यापित की गई पात्रता के आधार पर प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकते हैं।
13. ऑनलाईन सत्यापन होने के पश्चात, पात्रता या अपात्रता **(Eligible or Not Eligible)** की सूचना पंजीयन में दिये गये मोबाइल पर एस.एम.एस. द्वारा दी जायेगी।

प्राथमिकताक्रम का चयन(Choice Filling):–

14. पूर्णतः ई–सत्यापित अभ्यर्थी, पंजीयन उपरान्त प्रथमिकताक्रमों का चयन कर प्रथमिकताक्रमों को लॉक कर सकते हैं।
15. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में पात्र अभ्यर्थी ही संस्था का प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
16. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 01 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता **(Choice)** भरने की सलाह दी जाती है।
17. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)** उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)** को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्करुपये 130/– देय होगा, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा **(Non-Refundable)**.
18. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **प्राथमिकताक्रम**

का चयन (Choice Filling) करने के लिये रुपये 130/–पोर्टल शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (Non-Refundable).

आवंटन(Allotment):–

19. अर्हकारी परीक्षा के अंकों की तैयार मेरिट के आधार पर प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।

प्रवेश (Admission) :–

20. अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित संस्था में निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित होकर करवाना होगा।
21. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दी गई जानकारियों एवं दस्तावेजों में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा। सही पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी, अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थियों को **(Not Eligible)** की पर्ची प्राप्त होगी जिसमें सत्यापित नहीं होने के कारण का उल्लेख भी रहेगा। पर्ची की जांच करलें कुछ त्रुटि पाये जाने पर सत्यापन करने वाले अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
22. पात्र अभ्यर्थियों (Eligible candidate) को आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची प्राप्त करनी अनिवार्य हैं।
23. अभ्यर्थी का प्रवेश अभ्यर्थी के पासवर्ड से लॉक होकर पूर्ण माना जायेगा एवं अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची जारी की जावेगी। पर्ची को सुक्षमता जांच लें त्रुटि पाये जाने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सुचित करें।
24. अपात्र अभ्यर्थी **(Not Eligible candidate)** रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर, दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
25. उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करना हैं।
26. दस्तावेजों के सत्यापन के समय ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फार्मूला उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण–पत्र लाना होगा।
27. अनुपस्थित/अपात्र (Not Eligbile) अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा ऐसे रिक्त स्थान को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।

संस्था स्तर की कांउसलिंग (CLC) :–

28. अभ्यर्थी संस्था स्तर की काउंसलिंग में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते है।
29. समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन के समय पोर्टल शुल्क रू 30/– देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
30. काउंसलिंग वेबसाइट पर संस्था/ब्रान्च वार रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
31. संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों पर संस्था स्तर की काउंसलिंग(CLC) के लिये निर्धारित समय–सारणी में उपलब्ध प्रथम दिनांक को संस्था स्तर की काउसंलिंग(CLC) उपरान्त सीट रिक्त रहने पर समय–सारणी में दर्शित अगली दिनांक को संस्था स्तर की काउसंलिंग(CLC) आयोजित की जावेगी।

प्रवेश निरस्तीकरण (Admission cancellation) :–

32. किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही पाठ्यक्रमवार घोषित तिथियों में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउंसलिंग अवधि में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते है।
33. काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आंवटन जारी होने तक प्रवेश निरस्ती करण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहेगी।

सामान्य निर्देश

1. पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाईल नंबर तथा ई–मेल आईडी तैयार रखें।
2. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3. शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
4. प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एमपी मोबाइल **(MP Mobile) एन्ड्रायड एप** पर कहीं से भी संपादित कर सेव **(Save)** कर लें, तत्पश्चात् ही एमपीऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
5. किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।

6. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंवे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियॉ

1. मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटो–प्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2. काउंसलिंग में पंजीयन **(Registration)** के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन एवं संस्था में रिर्पोटिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेगें।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. ***"किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा संस्था में मूल दस्तावेज जमा नहीं किये जाने है यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल–दस्तावेज जमा किये जाते है तो सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।"***
5. प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर "चेक कें‍डिडेट स्टेटस" (Check Candidate Status) लिंक से सुनिश्चित कर सकते है।
6. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट **www.afrcmp.org** देखें।

संपर्क :– 0755-6720205, 2660441 ईमेलः–dte.helpcenter@mp.gov.in

सही
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश